न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 32 / 2024

श्री राजेन्द्र सिंह तोमर (राजा भईया) एडवोकेट, आई–26 / 1, गली नं. 10, ब्रह्मपुरी दिल्ली–110053

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी), निवाई

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 03.09.2024

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 314–15 दिनाक 11.06.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई व लोक सूचना अधिकारी एंव अति. पुलिस अधीक्षक, टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1. दिनांक 17.01.2020 को ग्राम नटवाडा, थाना बरोनी, तहसील निवाई जिला टोंक की नवनिर्वाचित तत्कालीन सरपंच पद पर विजयी हुई श्रीमती नीता कंवर पत्नी श्री पुण्य प्रताप करण सिंह राठौड के समर्थन में उनके पति का विजय जुलूस निकाला गया था इस जुलूस को निकालने के लिए संबंधित DM/ADM/SDM/SP/ASP/DSP महोदय से किस व्यक्ति ने परमीशन मांगी थी और किस संबंधित उपरोक्त तत्कालीन अधिकारी ने परमीशन दी थी रिकॉर्ड अनुसार सूचनाएं दें, एवं परमीशन मांगने वाले उस आवेदन और दी गई परमीशन / आज्ञा की सत्य प्रतियां भी दें।
2. उपरोक्त दिनांक को उपरोक्त क्षेत्र में निकले गए जुलूस में थाना बरोनी एवं जिला पुलिस लाईन से कौन कौन पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान तैनात थे उनके नाम, पदों की सूचनाएं रिकॉर्ड अनुसार देवें और इस बाबत थाना बरोनी के GD रजिस्टर में दर्ज रोजनामचे की नकल रपट की भी सत्य प्रति दें।
3. उपरोक्त दिनांक को उपरोक्त क्षेत्र में निकले गए इस विजय जुलूस की संबंधित पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने कोई VDO ग्राफी कराई थी, यदि हां तो उस VDO ग्राफी की CD उपलब्ध कराएं।
4. बिना पुलिस या प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को सूचित किए और उनसे लिखित आज्ञा / परमीशन लिए कोई भी जुलूस आदि किसी भी क्षेत्र में निकालना कानूनन अपराध है अथवा नहीं रिकॉर्ड अनुसार सूचना दें।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई को पत्र क्रमांक 995 दिनांक 16.07.2024, 1066 दिनांक 30.07.2024 व 1115 दिनांक 13.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई ने उनसे संबंधित बिन्दुओं की वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। लोक सूचना अधिकारी एंव अति. पुलिस अधीक्षक, टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एंव अति. पुलिस अधीक्षक, टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपीलांट नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर उनसे संबंधित बिन्दुओं की सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

फलतः अपील अपीलान्ट उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई से संबंधित बिन्दुओं की हद तक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर, टोंक